



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54207

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2817/2026

जितेंद्र प्रताप सिंह और 2 अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: शिवा प्रिया प्रसाद

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: कृष्ण कन्हैया सोनी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कन्हैया सोनी और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. राय को सुना गया।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं द्वारा अपील को स्वीकार करने और विशेष सत्र परीक्षण संख्या 307/2025 (राज्य बनाम राम आशीष) में दिनांक 21.6.2020 को आरोप पत्र पर पारित दिनांक 12.8.2025 के संज्ञान आदेश से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो अपराध संख्या 106/2020 में धारा 147, 148, 323, 504, 506, 452, 325 प्रथम प्रक्रिया संहिता और धारा 3(1) के तहत पुलिस स्टेशन खुथान, जिला जौनपुर में दर्ज की गई थी।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 21 अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक आरोपी का नाम दो बार लिखा गया था। मामले की विवेचना की गई और बाद में केवल 13 अभियुक्तों के खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल किया गया, शेष अभियुक्तों को विवेचना के दौरान निर्दोष पाया गया। बताया जाता है कि यह घटना 17.05.2020 को शाम लगभग 5:00 बजे पक्षों के बीच हुए किसी विवाद के बाद घटी। पक्षों के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बीच कहासुनी बकरियों के चराने को लेकर हुई थी। आगे यह भी बताया गया कि प्रतिवादी/सूचनादाता ने स्वयं संबंधित न्यायालय में हलफनामे के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि वर्तमान अपीलकर्ता इस घटना में शामिल नहीं थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ संपूर्ण अभियोजन को रद्द किया जाना चाहिए।

4. विद्वान एजीए और प्रतिवादी/सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विवेचनाधिकारी ने विधिवत विवेचना की है और उन अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जो वास्तव में घटना में शामिल थे और उन अभियुक्तों को बरी कर दिया है जो शामिल नहीं थे। विवेचना ने स्वयं ही निर्दोष व्यक्तियों को अलग कर दिया है। इसलिए, इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबंधित न्यायालय ने विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र का संज्ञान ले लिया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

6. आरोप से स्पष्ट है कि पक्षों के बीच कहा-सुनी तब हुई जब सूचनादाता की बकरी अपीलकर्ताओं के खेतों में घुस गई। अतः, जिस मुद्दे के कारण कहा-सुनी हुई, उससे ही यह स्पष्ट होता है कि घटना बिना किसी पूर्वचिंता के घटित हुई। जातिवादी अपशब्दों के प्रयोग का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। यद्यपि इस बात का नाममात्र उल्लेख है कि झगड़े के दौरान अपीलकर्ताओं द्वारा जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, फिर भी मारपीट और जातिवादी अपशब्दों के प्रयोग की भूमिका विशिष्ट नहीं है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दी गई परिस्थितियों में, न्यायालय का मत है कि अचानक घटी कथित घटना एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द) और 3(1)(ध) के तहत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनती है।

7. इस समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केशव महतो @ केशव कुमार महतो बनाम बिहार राज्य, 2026 लाइव लॉ (एससी) 62 के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित कहा गया है:

“16. दूसरे शब्दों में, धारा 3(1)(s) के तहत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर 'जातिगत नाम से' अपशब्द कहे। इस प्रकार,

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आरोपों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग किया गया था, या जातिगत नाम का प्रयोग अपशब्द के रूप में किया गया था।”

8. वर्तमान मामले के तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशव महतो @ केशव कुमार महतो (उपरोक्त) मामले में दिए गए कानून के अंतर्गत पूर्णतः आते हैं। जातिगत नाम के अपशब्द के रूप में प्रयोग के संबंध में विशिष्ट आरोपों के अभाव में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) और 3(1)(ध) के तहत अपीलकर्ताओं पर अभियोग चलाना उचित नहीं है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 12.8.2025 का संज्ञान एवं समन आदेश, साथ ही विशेष सत्र विचारण संख्या 307/2025 (राज्य बनाम राम आशीष) की कार्यवाही और दिनांक 21.6.2020 की आरोपपत्र, जहां तक वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द) और 3(1)(ध) के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं से संबंधित हैं, एतद्वारा रद्द किए जाते हैं। हालांकि, आईपीसी के तहत शेष अपराधों के संबंध में कार्यवाही विधिवत जारी रहेगी।

10. तदनुसार, यह आपराधिक अपील उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

एसके

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”